न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(भ्रष्टाचार निवारण) यू0पी0एस0ई0बी0,बरेली।

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 01/2017</u>

राज्य.....अभियोजक

बनाम

गनपत सिंह पुत्र स्व0 नन्हें सिंह, निवासी निकट प्राईमरी स्कूल लाईनपार, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद।

.....

अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या 218/1995, अन्तर्गत धारा 409 भा0दं0सं0 एवं धारा–13(1)डी.पी0सी0ऐक्ट थाना बिलारी जिला मुरादाबाद के प्रकरण में अभियुक्त गनपत सिंह की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत कर निम्नलिखित मुख्य आधारा पर याचना की गयी है कि उपरोक्त मुकद्में में प्रथम सूचना रिपोर्ट गनपत सिंह एवं एस0के0 अग्रवाल व अन्य के विरूद्ध दर्ज हुई थी। अभियुक्त इस मामले में जमानत पर है। उक्त वाद से सम्बन्धित माननीय न्यायालय में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दायर किया जिसमें एस.के.अग्रवाल को उन्मोचित कर दिया गया। उक्त वाद से सम्बन्धित माननीय न्यायालय की एक पत्रावली विशेष वाद सं0–32/03 राज्य प्रति निप्पो श्रीवास्तव व अन्य लम्बित जिसमें वादी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–210 दप्रसं वास्ते दोनों वाद संख्या को शामिल करने हेतु दायर किया गया था। प्रार्थी अभियुक्त विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त होकर अपने मूल निवास पर जाकर निवास करने लगा और वह 72 वर्षीय हृदय रोग व अन्य रोगों से पीडित है, जिस कारण उसे इलाज हेतु ज्यादातर बाहर रहना पडता है, जिस कारण नियत तिथियों पर उपस्थित नहीं आया। वह प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आता रहेगा। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ओर से जमानत के लिए अतिरिक्त आधार लिये गये है कि वह गंभीर बीमारियों से सन् 2014 से ग्रसित है, जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा अपने इलाज से सम्बन्धित कागजात शपथपत्र के साथ संलग्न कर दाखिल किये गये है। उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त दिनांकः 20.03.13 से अनुपस्थित चल रहा है। न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध दिनांकः 23.08.14 को बिना जमानती वारण्ट जारी किये गये। अभियुक्त दिनांकः 28.02.17 को गिरफ्तार होकर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त की ओर से अपनी बीमारी के सम्बन्ध में चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है। पूर्व में जमानत पर था और दिनांकः 28.02.2003 पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे जमानत पर रिहा किया गया। थाना आख्या के अनुसार अभियुक्त 71 वर्षीय हृदय व अस्थमा रोड से पीडित व्यक्ति है। उसका इस मामले के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं भेजा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का वर्तमान में अन्तरिम जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा भविष्य में जमानत का दुरूपयोग न किये जाने का आश्वासन दिया गया है। अभियुक्त की ओर से उसके पुत्र संजीव कुमार द्वारा आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में शपथपत्र प्रेषित किया गया है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः मामले में अभियुक्त की ओर से प्रेषित चिकित्सीय प्रपत्रो, आयु एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत पर छोडना न्यायोचित है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी अभियुक्त गनपत सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा रू0 80,000/–का निजी बंध पत्र व इसी धनराशि के दो नवीन प्रतिभू

न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर इस आशय की अण्डरटेकिंग के साथ छोडा जायेगा कि वह प्रत्येक नियमित तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आता रहेगा, यदि अभियुक्त किसी तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं आता है तो उसकी जमानत स्वतः निरस्त मानी जायेगी। अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानतनामें 15 दिन के अन्दर सत्यापित कराना सुनिश्चित करें। अभियुक्त गनपत को जमानतनामों के सत्यापन होने तक प्राविजनली रूप से जमानत पर छोडा जाये।

(देवेन्द्र सिंह)

दिनांक 27.03.2017

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
भ्र0 निवारण (यू0पी0एस0ई0बी0) बरेली।